



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

08 AGRAHAYAN, 1943 (S)

No. 600

RANCHI, MONDAY, 29th NOVEMBER, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

29th November, 2021

Notification No.- 09/2021 – State Tax(Rate)

S.O. No. 54, Dated 25th November, 2021--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for S. No. 86 and entries relating thereto, the following S. No. and entries thereto shall be substituted, namely: -

“86	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing
.		<i>Explanation:</i> This entry does not cover seeds meant for any use other than sowing.”;

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of October, 2021.

[File. No. VaKar/GST/02/2020]

By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: - The principal notification No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017, and was last amended vide notification No. 15/2019- State Tax (Rate) dated the 01st day of November, 2019, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 83, dated the 01st day of November, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 09/2021- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 54, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 --झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 86 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा; यथा:-

"86	1209	बीज,फल और बीजाणु, बुवाई के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि में बुवाई के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए बीज शामिल नहीं है ।
-----	------	--

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी०/02/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 15/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 01 नवम्बर, 2019, जिसे एस. ओ. सं. 83, दिनांक 01 नवम्बर, 2019 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।
